(q) ***"Taxi Meter"*** means any Mechanical or Electronic device approved by the State Transport Authority" to be attached to motor cab for the calculation and legible exhibition of fare and other charges due from passenger therein,

(r) ***"Transport Commissioner"*** means an officer appointed by the State Government to perform the duties and functions of the Transport Commissioner under these rules and includes an Additional Transport Commissioner,

[1][(s) ***"Assistant Transport Commissioner"*** means an officer appointed by State Government to perform the duties and functions as assigned to them,]

[2][(t) ***"Rural route"*** means a route whose one terminus is a revenue village and other terminus is a place of religious importance/Tehsil Headquarter/ Panchayat Samiti Headquarter/Municipal town/Krishi Mandi or Sub-Divisional Headquarter except situated within the municipal/U.I.T. area of the district Headquarter :

Provided that such routes shall not include the following:–

(i) Municipal/U.I.T. area of the district Headquarter.

(ii) Tehsil Headquarter/Panchayat Samiti Headquarter/Municipal town/ Sub-Divisional Headquarter.

(iii) More than one Krishi Mandi.]

[3][(u) ***"Sub-Urban Route"*** means any route which starts from a city or, town and declared as Sub-urban route by the State Government in the public interest.]

(2) Words and expressions used in the Act and Rules made by the Central Government and not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them under the Act and Rules made by the Central Government under the Act and as amended from time to time by the Central Government.

CHAPTER II
LICENSING OF DRIVERS OF MOTOR VEHICLES

2.1. Licensing Authority.– The Licensing Authority shall be a District Transport Officer so appointed for the district or the Motor Vehicles Inspector [5][or Motor Vehicles Sub-Inspector] [4][or any person], specially authorised by the State Government to perform the duties of the Licensing Authority. Licensing Authority for the purpose

---

1. Added by GSR 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt.- IV(Ga)(I), dated 26.7.1995).
2. Subs. by G.S.R. 29, dated 14.9.2004 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt.- 4(Ga) (I), dated 14.9.2004).
3. **Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015)**
4. Added by G.S.R. 50, dated 31.7.1997 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 31.7.1997).
5. Added by GSR 82 dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt.-4(Ga), dated 29.11.2002.

(थ) ***"टैक्सी-मीटर"*** से कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रोनिक उपकरण अभिप्रेत है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो और मौटर–कैब के साथ, उसमें के यात्री से देय किराये और अन्य प्रभार की संगणना और स्पष्ट प्रदर्शन के लिये सहबद्ध किया जाये;

(द) ***"परिवहन-आयुक्त"*** से इन नियमों के अधीन परिवहन–आयुक्त के कर्त्तव्यों और कार्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जिसमें अपर परिवहन आयुक्त सम्मिलित है;

[1][(ध) ***"सहायक परिवहन आयुक्त"*** से राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट किये गये कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;,

[2][(न) ***"ग्रामीण मार्ग"*** से जिला मुख्यालय के नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर स्थित मार्ग को छोड़कर ऐसा मार्ग अभिप्रेत है, जिसका एक टर्मिनस राजस्व ग्राम हो और दूसरा टर्मिनस धार्मिक महत्त्व का स्थान/तहसील मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय/नगरपालिक नगर/कृषि मंडी या उप–खण्ड मुख्यालय हो :

परन्तु ऐसे मार्ग में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे:–

(i) जिला मुख्यालय के नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्र।

(ii) तहसील मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय/नगरपालिक नगर/उप–खण्ड मुख्यालय।

(iii) एक से अधिक कृषि मंडी।]

[3][(प) ***"उप नगरीय मार्ग"*** से कोई ऐसा मार्ग अभिप्रेत है, जो किसी शहर या नगर से प्रारम्भ होता है और राज्य सरकार द्वारा लोकहित में उपनगरीय मार्ग के रूप में घोषित किया गया है।]

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो अधिनियम में या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में प्रयुक्त गये हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उनको अधिनियम अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों और समय–समय पर केन्द्रीय सरकार किये गये संशोधनों में दिया गया है।

अध्याय–2

मोटर यानों के चालकों का लाइसेंस

2.1. अनुज्ञापन प्राधिकारी.– जिले के लिये इस रूप में जिला परिवहन अधिकारी या राज्य र द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर निरीक्षक [5][या मोटर यान उप–निरीक्षक] [4][या कोई भी व्यक्ति] अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा। ाष्ट्रीय चालन परमिट के प्रयोजन के लिये और] केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 के प्रयोजनार्थ प्रदेश के लिये इस रूप में नियुक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी

.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर ाशित) द्वारा जोड़ा गया।

.एस.आर. 29, दिनांक 14.9.2004 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 14.9.2004 पर ाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

. सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./2005/IV/16885, दिनांक 31.08.2015 (राज. राजपत्र ांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

स.आर. 50, दिनांक 31.7.1997 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 31.7.1997 पर ित) द्वारा जोड़ा गया।

स.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग), दिनांक 29.11.2002 पर ित) द्वारा जोड़ा गया।

of [1][International Driving Permit and for the purpose of] rules 24 to 28 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall be the Regional Transport Officer so appointed for the Region.

2.2. Authorisation to drive Transport Vehicle.– (1) Holder of a licence may, at any time, apply to the Licensing Authority in Form R.S. 2.1, for the grant of authorisation along with the certificate of minimum qualification prescribed by the Central Government and driving certificate issued by an approved school of Motoring under section 12. Such application shall be accompanied by the licence and prescribed fee. The Licensing Authority to which an application is made is satisfied with the applicant who fulfill all the requirements prescribed by the Motor Vehicles Act and the rules made thereunder by the Central Government and may make enquiry into his character and anticidents and by a notice in writing summon him to appear before it at such time and place as it may appoint, the Licensing Authority shall authorise him to drive a Transport Vehicle, and return the driving licence to the applicant thereof and shall at the same time if the driving licence was issued by a different Licensing Authority send intimation in Form R.S. 2.2.

(2) If the Licensing Authority rejects an application for licence or for authorisation to drive a Transport Vehicle, it shall inform the applicant in writing giving its reasons within one month and shall return the licence to him.

2.3. Testing Officer.– The test of competence to drive as prescribed by the Central Government shall be conducted by the Licensing Authority or a person authorised by such authority, not below the rank of Motor Vehicles Sub-Inspector.

2.4. Driving Test.– (1) Subject to Sub-section (6) of Section 9 of the Act, the applicant shall furnish a serviceable vehicle of the class to which the application refers and present himself for test at such time and place as may be specified by the Licensing Authority.

(2) Where an applicant has passed the test of competence to drive the Motor Vehicle, he shall, on the same day or within a week thereof, pay to the Licensing Authority a fee as specified in the rules made by the Central Government. Provided that, the applicant, unless he shows sufficient reasons for not paying the said sum within a week shall be liable to pass a fresh test of competence.

2.5. Appellate Authority.– (1) The Authority to hear appeals under Sub-section (8) of Section 9, Sub-section (2) of Section 17 and Sub-section (3) of Section 19 of the Act, shall be the Regional Transport Officer.

[2][Provided that in case of International Driving permit issued under rule 2 (t) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 the Appellate Authority shall be the Transport Commissioner.]

(2) An appeal under rule 2.5 shall be preferred, within thirty days of the date of receipt of such order to the authority mentioned in rule (1) above.

---

1. Subs. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).
2. Added by Ibid (w.e.f. 4.12.2003).

[1][अन्तर्राष्ट्रीय चालन परमिट के प्रयोजन के लिये और] केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 से 28 के प्रयोजनार्थ प्रदेश के लिये इस रूप में नियुक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

2.2. परिवहन यान चलाने का प्राधिकार.— (1) कोई अनुज्ञप्ति–धारक के केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित न्यूनतम योग्यता के प्रमाण–पत्र और धारा 12 के अधीन अनुमोदित स्कूल द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाण–पत्र सहित प्ररूप आर.एस. 2.1 में अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्राधिकार देने के लिये आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदन के साथ लाइसेंस और निर्धारित फीस देनी होगी। अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसे आवेदन किया गया है यदि आवेदक के बारे में संतुष्ट हो जाता है कि–वह मोटर यान अधिनियम और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित सभी शर्तों को पूरा करता है और वह उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में जांच कर सकता है और लिखित में नोटिस देकर अपने सामने निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होने के लिये उसको समन कर सकता है, इसके बाद अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे परिवहन यान चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा और आवेदक को उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस कर देगा और साथ ही, यदि ड्राइविंग लाइसेंस किसी भिन्न अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी हो, तो प्ररूप आर.एस. 2.2 में उसे सूचना देगा।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस के, या परिवहन यान चलाने के प्राधिकार के आवेदन को अस्वीकार करता है, तो वह आवेदक को एक माह के भीतर लिखित में कारण बताते हुए सूचित करेगा और उसे लाइसेंस वापस कर देगा।

2.3. परीक्षण अधिकारी.— केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित यान चलाने का सक्षमता परीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या उस प्राधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो मोटर यान उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो।

2.4. चालन-परीक्षण.— (1) अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (6) के अध्यधीन रहते हुए, आवेदक एक सेवा योग्य मोटर यान उस श्रेणी का लायेगा, जिसको आवेदन में निर्देशित किया गया है और अनुज्ञापन–प्राधिकारी द्वारा बताये गये समय और स्थान पर स्वयं उपस्थित होगा।

(2) जहां किसी आवेदक ने मोटर यान चलाने का सक्षमता–परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो, तो वह उसी दिन या उससे एक सप्ताह के भीतर, अनुज्ञापन–प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट की गई फीस का संदाय करेगा। परन्तु उक्त राशि को एक सप्ताह के भीतर जमा नहीं कराने का पर्याप्त कारण न बताने पर आवेदक को सक्षमता परीक्षण दुबारा उत्तीर्ण करना होगा।

2.5. अपील-प्राधिकारी.— (1) अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (8), धारा 17 की उप–धारा (2) और धारा 19 की उप–धारा (3) के अधीन अपील सुनने वाला प्राधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा।

[2][परन्तु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (न) के अधीन जारी अन्तर्राष्ट्रीय चालन परमिट के मामले में अपील प्राधिकारी परिवहन आयुक्त होगा।]

(2) नियम 2.5 के अधीन अपील उपनियम (1) में वर्णित प्राधिकारी को ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिन के भीतर की जायेगी।

---

1. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 4.12.2003 से लागू किया गया।
2. उपरोक्त द्वारा जोड़ा गया एवं दिनांक 4.12.2003 से लागू किया गया।

2.6. Procedure for Appeal.– (1) An appeal under rule 2.5 shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objection to the order of Licensing Authority and shall be accompanied by the original or certified copy of the order against which appeal is preferred and appropriate fee as specified in the rule 2.29.

(2) The Appellate Authority after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry, if any, as it may deem necessary, pass appropriate orders, and an order passed by Appellate Authority shall be final.

2.7. Medical Certificate.– The Medical certificate as required under Sub-section (3) of Section 8 of the Act shall be signed by such Registered Medical Practitioner as the Transport Commissioner may notify for a specified area in the Official Gazette, on payment of prescribed fee.

2.8. Demand for Recent Photograph.– If at any time it appears to a Licensing Authority that the photograph affixed to the licence has ceased to be a clear likeness of the holder, the Licensing Authority may require the holder to surrender the licence forthwith and to furnish two clear copies of a recent photograph of himself and the holder shall, within such period as the Licensing Authority may specify, appear in person before the Licensing Authority and present the photograph accordingly. If the holder fails to comply with a requisition by the Licensing Authority under this rule, the licence shall cease to be valid from the expiry of the said period.

2.9. Duplicate licence with new photograph.– (1) Upon receipt of the copies of the photograph as provided in rule 2.8 the Licensing Authority shall remove old photograph from the licence and affix and seal thereto one copy of the new photograph and return the licence to the applicant and shall, if he is not the Licensing Authority by whom the Licence was issued, forward the one copy of the photograph to that authority:

Provided that if the holder of the licence so desires, the Licensing Authority shall issue a duplicate licence with the new photograph affixed thereto and shall destroy the original licence. In such case if the Licensing Authority is not the Authority by whom the licence was issued, he shall inform the original Licensing Authority.

(2) When a new photograph is affixed to a licence a note shall be made upon the photograph of the date of affixture.

2.10. Licence lost or destroyed-information.– (1) if at any time a licence is lost or destroyed the holder of such licence shall forthwith intimate the facts in writing to the Licensing Authority, having jurisdiction over the area in which he has his place of residence at the time in Form R.S. 2.3 or in a letter setting out the particulars required. by that form, and pay the prescribed fee for duplicate licence, as in rule 2.29.

(2) Upon the receipt of the information specified in rule 2.10 the Licensing Authority shall, if he is not the authority by whom the driving licence was issued, write to that authority for particulars of the driving licence and if any endorsements thereon, if satisfied after making such enquiries as it thinks fit, that a duplicate

2.6. अपील की प्रक्रिया.— (1) नियम 2.5 के अधीन अपील एक ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में की जायेगी, जिसमें अनुज्ञापन–प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध आक्षेप के आधार दिये जायेंगे और उसके साथ जिस आदेश की अपील की गई है, उसकी मूल या प्रमाणित प्रति संलग्न होगी और नियम 2.29 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस देनी होगी।

(2) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देने और ऐसी और जांच, यदि कोई हों, करने के बाद, जो वह उचित समझे, समुचित आदेश पारित करेगा और अपील–प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

2.7. चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र.— अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (3) के अधीन अपेक्षित चिकित्सीय प्रमाण–पत्र ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा निर्धारित फीस का संदाय करने पर हस्ताक्षरित किया जायेगा, जैसा परिवहन आयुक्त गजट में किसी विशेष क्षेत्र के लिये अधिसूचित करे।

2.8. नये फोटोग्राफ की मांग.— यदि किसी समय अनुज्ञापन–प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि लाइसेंस पर चिपकाया गया फोटोग्राफ उसके धारक से स्पष्ट मिलता–जुलता नहीं रह गया है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उसके धारक को तुरन्त लाईसेंस अभ्यर्पित करने और अपने नये फोटोग्राफ की दो स्पष्ट प्रतियां देने के लिये कह सकेगा और धारक ऐसी अवधि के भीतर, जो अनुज्ञापन–प्राधिकारी बताये, स्वयं अनुज्ञापन प्राधिकारी के सामने उपस्थित होगा और तदनुसार फोटोग्राफ पेश करेगा। यदि धारक इस नियम के अधीन अनुज्ञापन–प्राधिकारी की मांग का पालन करने में असफल रहता है, तो उसका लाइसेंस उक्त अवधि की समाप्ति से विधिमान्य नहीं रहेगा।

2.9. नये फोटोग्राफ सहित डुप्लीकेट लाइसेंस.— (1) नियम 2.8 में बताये अनुसार फौटोग्राफ की प्रतियां प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन–प्राधिकारी लाइसेंस पर से पुराने फोटोग्राफ को हटा देगा और नये फोटोग्राफ की एक प्रति उस पर चिपकाकर उस पर मोहर लगायेगा और आवेदक को लाइसेंस वापस कर देगा और यदि वह लाइसेंस जारी करने वाला अनुज्ञापन–प्राधिकारी नहीं है तो वह फोटोग्राफ की एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु यदि लाइसेंस का धारक ऐसा चाहे तो अनुज्ञापन–प्राधिकारी नया फोटो लगा हुआ डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करेगा और मूल लाइसेंस को नष्ट कर देगा। ऐसे मामले में यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है, जिसने वह लाइसेंस जारी किया था तो वह मूल अनुज्ञापन–प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) जब लाइसेंस पर नया फोटोग्राफ चिपकाया जाता है तो उस फोटोग्राफ पर चिपकाने की दिनांक अंकित की जायेगी।

2.10. लाइसेंस का खोना या नष्ट हो जाना–सूचना.— (1) यदि किसी भी समय कोई लाइसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो ऐसे लाइसेंस का धारक तुरन्त यह तथ्य लिखित में उस अनुज्ञापन–प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में वह क्षेत्र आता है, जिसमें उस समय उसका निवास स्थान है, वे तथ्य प्ररूप आर.एस. 2.3 में या एक पत्र में उस प्ररूप द्वारा चाहा गया विवरण देते हुए सूचित करेगा और नियम 2.29 में डुप्लीकेट लाइसेंस के लिये निर्धारित फीस का संदाय करेगा।

(2) नियम 2.10 में बताई गई सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन–प्राधिकारी, यदि वह ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी नहीं है, तो उस प्राधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण और उस पर कोई पृष्ठांकन हों, भेजने के लिये लिखेगा। यदि वह ऐसी जांच करने के बाद, जो वह ठीक समझे, सन्तुष्ट हो जाता है कि समुचित रूप में डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जा सकता है, तो वह

licence may properly be issued, issue a duplicate licence. Provided that where subsequent to the issue of a duplicate driving licence, it is found that there has been an endorsement by a court since the date of the grant or last renewal of the licence, it shall be lawful for the Licensing Authority to call for the duplicate driving licence and make the necessary endorsement thereon.

2.11. Photograph for duplicate.– Where a photograph is required to be affixed to a duplicate licence issued under the provisions of these rules, the holder of the licence shall furnish the Licensing Authority with two clear copies of a recent photograph of himself, one of which shall be affixed to the duplicate licence and the other shall be transmitted by the authority issuing the duplicate licence to the authority by which the licence was issued.

2.12. Licence-lost-delivery.– When a duplicate licence has been issued upon representation that a licence has been lost and the original licence is afterwards found by the holder it shall be delivered to the Licensing Authority. Any other person finding a driving licence shall deliver it to the holder of the licence or to the nearest Police Station or nearest Licensing Authority. The Officer-in-charge of the Police Station on receipt of licence shall immediately forward it to the nearest Licensing Authority.

2.13. Licence-defaced or torn or Impounding of.– If at any time it appears to the Licensing Authority that a licence held by any person is so torn or defaced in any way as to cease to be reasonably legible, the Licensing Authority may impound the licence and issue a duplicate. If a licence impounded as aforesaid is required to have a photograph of the holder affixed thereto, then:–

(i) if the photograph on the impounded licence is in the opinion of the Licensing Authority satisfactory and conveniently transferable to the duplicate licence the Licensing Authority may so transfer, affix and seal the photograph to the duplicate licence, or

(ii) if the photograph affixed to the impounded licence is not in the opinion of the Licensing Authority such as can be transferred to the duplicate licence the holder of the licence shall, on demand by the Licensing Authority, furnish two clear copies of a recent photograph of himself, one of which shall be affixed to the duplicate licence and the other shall be recorded duplicate licence and sealed by the Licensing Authority by whom the licence was issued.

2.14. Duplicate to be stamped.– When a duplicate licence is issued it shall be clearly stamped 'Duplicate' in 'Red' and shall be marked with the date of issue of the duplicate and the seal of the Licensing Authority.

2.15. Disqualification-Procedure on.– A Licensing Authority taking possession of a licence under clause (a) of sub-section (2) of section 19 of the Act shall, if the licence was issued by another Licensing Authority, intimate the facts to that authority.

2.16. Endorsement of disqualification.– When a Licensing Authority declares a person disqualified under sub-section (1) of section 19 of the Act, it shall, if the person holds a licence, endorse the licence accordingly and shall send intimation of such declaration to the authority by which the licence was issued.

डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करेगा। परन्तु यह कि जहां डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के बाद, यह पाया जाये कि लाइसेंस देने या अन्तिम बार नवीकृत करने की दिनांक के बाद किसी न्यायालय ने उस पर कोई पृष्ठांकन किया है, तो अनुज्ञापन–प्राधिकारी के लिये यह विधिसम्मत होगा कि वह डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को मंगवाकर उस पर आवश्यक पृष्ठांकन करे।

2.11. डुप्लीकेट के लिये फोटोग्राफ.— जहां इन नियमों के अधीन जारी किये गये डुप्लीकेट लाइसेंस पर चिपकाने के लिये फोटोग्राफ की आवश्यकता हो; तो लाइसेंस–धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपने नये फोटोग्राफ की दो स्पष्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा, जिनमें से एक डुप्लीकेट लाइसेंस पर चिपकाई जायेगी और दूसरी डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस प्राधिकारी को भेज दी जायेगी जिसने वह लाइसेंस जारी किया था।

2.12. खो गये लाइसेंस का परिदान.— जब इस कथन पर डुप्लीकेट लाइसेंस जारी कर दिया गया है कि लाइसेंस खो गया है और बाद में धारक को मूल लाइसेंस मिल जाता है, तो वह उसे अनुज्ञापन–प्राधिकारी को परिदत्त करेगा। किसी अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर उसे उसके धारक या नजदीक के पुलिस स्टेशन को या अनुज्ञापन अधिकारी को परिदत्त करना होगा। ऐसा लाइसेंस प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी उसे तुरन्त निकटतम अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेज देगा।

2.13. खराये हुए या फटे हुए लाइसेंस की जब्ती.— यदि किसी समय अनुज्ञापन–प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति द्वारा धारित लाइसेंस इतना फट गया या विरूपित हो गया है कि वह युक्तियुक्त रूप से पठनीय नहीं है, तो अनुज्ञापन–प्राधिकारी उस लाइसेंस को जब्त कर सकेगा और डुप्लीकेट जारी कर सकेगा। यदि इस प्रकार जब्त किये गये लाइसेंस के लिये उस पर चिपकाने के लिये धारक का फोटोग्राफ चाहिये, तो–

(i) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में जब्त किये गये लाइसेंस पर लगा फोटोग्राफ सन्तोषजनक है और डुप्लीकेट लाइसेंस पर आसानी से बदला जा सकता है, तो अनुज्ञापन–प्राधिकारी उसे इस प्रकार डुप्लीकेट लाइसेंस पर बदल देगा, चिपकायेगा और मुद्रांकित करेगा, या

(ii) यदि जब्त किये गये लाइसेंस पर लगा हुआ फोटोग्राफ अनुज्ञापन–प्राधिकारी की राय में ऐसा नहीं है कि उसे डुप्लीकेट लाइसेंस पर बदला जा सके, तो अनुज्ञापन–प्राधिकारी की मांग पर लाइसेंसधारक अपने नये फोटोग्राफ की दो स्पष्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा, जिनमें से एक उस डुप्लीकेट लाइसेंस पर चिपका दी जायेगी और उस पर मोहर लगादी जायेगी। दूसरी प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जायेगी, जिसने वह लाइसेंस जारी किया था।

2.14. डुप्लीकेट को मुद्रांकित किया जाना.— जब कोई डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जाता है, तो उस पर लाल स्याही से ***"डुप्लीकेट"*** की साफ मोहर लगाई जायेगी और उस पर डुप्लीकेट जारी करने की दिनांक अंकित की जायेगी और अनुज्ञापन प्राधिकारी की मोहर लगायी जायेगी।

12.15. निरर्हता-प्रक्रिया.— अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन लाइसेंस को कब्जे में लेने वाला अनुज्ञापन–प्राधिकारी, यदि लाइसेंस किसी दूसरे अनुज्ञापन–प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, तो उस प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों की सूचना देगा।

12.16. निरर्हता का पृष्ठांकन.— जब अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन निरर्हित घोषित करता है, तो वह उस लाइसेंस पर, यदि उस व्यक्ति के पास लाइसेंस है, तदनुसार पृष्ठांकन करेगा और ऐसी घोषणा की उस प्राधिकारी को सूचना देगा, जिसने वह लाइसेंस जारी किया था।

2.17. Endorsement of licence by Court.– The Court making or causing to be made an endorsement on a licence under Section 24 of the Act shall send intimation in Form R.S. 2.4, to the Licensing Authority by which the licence was issued and the Licensing Authority by which it was last renewed.

2.18. Intimation of renewal to original Licensing Authority.– The Licensing Authority renewing a licence under the provisions of sub-section (6) of section 15 of the Act shall intimate the facts to the Licensing Authority by which the licence was issued in Form R.S. 2.5.

2.19. Intimation of addition to licence.– A Licensing Authority adding, under sub-section (3) of Section 6 of the Act, to the classes of motor vehicle which a licence authorises, the holder to drive shall, if it is not the authority by which the licence was issued intimate the addition to that authority in Form R.S. 2.6.

2.20. Certificate of automobile association.– For the purpose of the second proviso to Sub-section (3) of Section 9 of the Act, the following Automobile Associations are recognised associations:–

(1) The Automobile Association of Bengal.

(2) The Automobile Association of Southern India.

(3) The Automobile Association of Upper India.

(4) The Uttar Pradesh Automobile Association.

(5) The Western India Automobile Association :

Provided that this power shall be exercised by the aforesaid association in respect of their members only, and the fees of test of competence collected by the association, shall be remitted by the association concerned, with the certificate and the certificate shall not be considered to be valid unless the fee is so remitted. The aforesaid association shall also maintain regular and proper accounts of such collections and shall allow the officers of the Accountant General, Rajasthan, or officers authorised by the Transport Commissioner, Rajasthan to inspect such accounts.

2.21. Report of change of address.– The holder of a licence entitling him to declare as to drive a public service vehicle shall, except in the case of a temporary absence not involving a change of residence for a period exceeding three months, report in Form R.S. 2.8 any change of his temporary or permanent address as notified on the licence to the Licensing Authority by whom the licence was issued and to the Licensing Authority by whom it was last renewed.

2.22. Exemption of certain persons from licence and test of competence fees.– (1) No fee shall be charged under this chapter.–

(i) from the members of Police Force or Fire Brigade when licences to drive Police or Fire Brigade Motor Vehicles are issued to them,

(ii) from the members of the Technical Co-operation Mission of U.S.A. stationed at Udaipur.

12.17. न्यायालय द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकन.— अधिनियम की धारा 24 के अधीन किसी लाइसेंस पर पृष्ठांकन करने वाला या करवाने वाला न्यायालय लाइसेंस जारी करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को और अन्तिम बार नवीकृत करने वाले अनुज्ञापन–प्राधिकारी को प्ररूप आर.एस. 2.4 में सूचना भेजेगा।

2.18. मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी को नवीकरण की सूचना.— अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (6) के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस का नवीकरण करने वाला अनुज्ञापन–प्राधिकारी तथ्यों की सूचना उस अनुज्ञापन–प्राधिकारी को देगा, जिसके द्वारा प्ररूप आर.एस. 2.5 में लाइसेंस जारी किया गया था।

2.19. लाइसेंस में प्रविष्टियां जोड़ जाने की सूचना.— अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अधीन धारक को जिन श्रेणियों के मोटर यानों को चलाने के लिये लाइसेंस द्वारा प्रधिकृत किया है, उनमें और कोई श्रेणी का यान जोड़ता है, और यदि वह लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी नहीं है, तो ऐसी किसी श्रेणी का यान लाइसेंस में जोड़ने की सूचना उस प्राधिकारी को प्ररूप आर.एस. 2.6 में देगा।

2.20. ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का प्रमाण-पत्र.— अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित ऑटोमोबाइल एसोसिएशन मान्यता प्राप्त एसोसिएशन हैं–

(1) ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ बंगाल।

(2) ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इण्डिया।

(3) ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इण्डिया।

(4) उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन।

(5) वेस्टर्न इन्डिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन :

परन्तु उपरोक्त एसोसिएशनों द्वारा इस शक्ति का प्रयोग केवल अपने सदस्यों के बारे में किया जायेगा और एसोसिएशन द्वारा संग्रह किया गया सक्षमता परीक्षण का शुल्क एसोसिएशन द्वारा प्रमाण–पत्र के साथ भेजा जायेगा और प्रमाण–पत्र को तब तक विधिमान्य नहीं माना जायेगा, जब तक कि शुल्क साथ नहीं भेज दिया गया हो। उपर्युक्त एसोसिएशन ऐसे संग्रह का नियमित और समुचित लेखा भी रखेंगी और महालेखाकार, राजस्थान के अधिकारियों या परिवहन आयुक्त, राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देंगी।

2.21. पते में परिवर्तन की सूचना.— लाइसेंस, जो धारक को सार्वजनिक सेवा यान चलाने के लिये घोषणा करने का हकदार बनाता है, का धारक लाइसेंस में दिये गये अपने अस्थाई या स्थाई पते में किसी परिवर्तन की सूचना प्ररूप आर.एस. 2.8 में उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसने वह लाइसेंस जारी किया था और उस अनुज्ञापन–प्राधिकारी को, जिसने वह लाइसेंस अन्तिम बार नवीकृत किया था, देगा, सिवाय उस अस्थाई अनुपस्थिति के मामले में, जिसमें निवास का परिवर्तन तीन माह से अधिक की अवधि का न हो।

2.22. लाइसेंस और सक्षमता-परीक्षण की फीस से कुछ व्यक्तियों को छूट.— (1) इस अध्याय के अधीन कोई फीस निम्नलिखित से वसूल नहीं की जायेगी:–

(i) पुलिस बल या अग्नि शमन दल के सदस्यों से, जब पुलिस या फायर–ब्रिगेड के मोटर यान चलाने के लिये उनको लाइसेंस जारी किये गये हों,

(ii) उदयपुर स्थित टेकनीकल को–ऑपरेशन मिशन ऑफ यू.एस.ए. के सदस्यों से।

[1][(iii) from the disabled persons when licences to drive invalid carriages are issued to them.]

(2) No fee for the test of competence shall be payable by the applicant it he is ex-service-man and produces a certificate of proficiency in driving a motor vehicle from an officer in the Armed Forces of the Union.

2.23. Conduct and duties of Drivers of Stage Carriages and Contract Carriages other than Motor Cabs.– (1) The driver of a stage carriage or a contract carriage, other than a motor cabs,–

(i) shall not cause or allow any person, animal or thing, to be placed or to be in the space reserved for the driver's seat as provided under Chapter VII of these Rules or Act or otherwise, in such a way as to impede him in having a clear vision of the road or proper control of the vehicle,

(ii) shall not shout in order to attract a passenger;

(iii) shall, subject to any rules or regulations in force prohibiting the taking up or setting down of passengers at, or except at certain specified places, being the vehicle to rest for a sufficient period of time in a safe and convenient position, upon the demand or signal of the conductor or of any passenger desiring to alight from the vehicle, and, unless there is no room in the vehicle, upon the demand or signal of any person desiring to become a passenger;

(iv) shall, not when bringing his vehicle to rest for the purpose of picking up or setting down any passenger at or near the place where another stage carriage or contract carriage is at rest for the same purpose, drive the vehicle so as to endanger, inconvenience or interfere with the driver or the conductor of the other vehicle or any person mounting or preparing to mount thereon or alighting therefrom and shall bring his vehicle to rest in front or behind the other vehicle and on the left hand side of the road or place;

(v) shall at all times exercise all reasonable care and diligence to maintain his vehicle in a fit and proper condition and shall not knowingly drive the vehicle when it or any brake, tyre or lamp thereof is in a defective condition, likely to endanger any passenger or other person or when there is not sufficient fuel in the tank of the vehicle to enable him to reach the next fuel-filling station on the route–

(a) shall not cause or allow any such vehicle to stand, or loiter in any public place for the purpose of collecting passenger or goods save in such place and in such manner as may be approved by competent authority, and

(b) shall not wrongfully obstruct or attempt to obstruct the driver, conductor or other person-in-charge of any other public service vehicle in the transaction of his business;

1. Ins. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).

[1][(iii) निःशक्त व्यक्तियों से जब अशक्त यात्री गाड़ियों के चालन अनुज्ञप्तियां उन्हें जारी की गयी हों।]

(2) आवेदक द्वारा सक्षमता–परीक्षण के लिये कोई फीस संदेय नहीं होगी यदि वह भूतपूर्व सैनिक है और मोटर यान ड्राइविंग में दक्षता का प्रमाण–पत्र संघ की सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करता है।

2.23. मोटर-कैबों से भिन्न मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों के चालकों का आचरण और कर्त्तव्य.– (1) मौटर–कैबों से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी का चालक–

(i) किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु को इस अधिनियम या इन नियमों के अध्याय VII के अधीन यथा– उपबन्धित ड्राइवर की सीट के लिये सुरक्षित स्थान में या अन्यथा इस प्रकार से न तो रखवायेगा या न रहने देगा कि उसको सड़क के स्पष्ट रूप से देखने में या यान के उचित नियंत्रण में कोई बाधा आये;

(ii) किसी यात्री को आकर्षित करने के लिये नहीं चिल्लायेगा;

(iii) यात्रियों को किसी स्थान या कुछ विनिर्दिष्ट स्थानों के अलावा उतारने या चढ़ाने पर रोक लगाने वाले किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन रहते हुए, परिचालक या यान से उतरना चाहने वाले यात्री की मांग या संकेत पर और यदि यान में जगह हो, तो यात्री बनने के इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग का संकेत पर यान को पर्याप्त समय के लिये सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में रोकेगा;

(iv) जब अपने यान को किसी यात्री को लेने या उतारने के उद्देश्य से ऐसे स्थान पर या उसके पास विराम दे या रोके, जहां दूसरी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी उसी उद्देश्य से विराम पर (खड़ी) हो, तो वह अपनी गाडी को इस तरह नहीं चलायेगा कि उससे दूसरी गाड़ी के चालक या परिचालक या उसमें चढ़ने वाले या चढ़ने की तैयारी करने वाले या उससे उतरने वाले किसी व्यक्ति को खतरा, असुविधा या हस्तक्षेप हो और वह अपने यान को किसी दूसरी यान के आगे या पीछे और सड़क या स्थान के बांई ओर खड़ा करेगा;

(v) वह हर समय अपने यान को ठीक हालत में और सही दशा में संधारित करने के लिये सब युक्तियुक्त ध्यान व सावधानी का प्रयोग करेगा और जान बूझकर उस यान को नहीं चलायेगा, जब वह यान या उसके ब्रेक, टायर या लैम्प खराब दशा में हो और इससे किसी यात्री या अन्य व्यक्ति के प्रति खतरे की सम्भावना हो या जब उसकी टंकी में पर्याप्त ईंधन न हो कि वह मार्ग में स्थित किसी अगले ईंधन–स्थल पर पहुंच सके।

(क) वह किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों या सामान को लेने के प्रयोजन के लिये किसी ऐसे यान को न तो खड़ा करेगा, न इधर–उधर घुमायेगा और न ऐसा करने देगा, सिवाय ऐसे स्थान पर और ऐसे तरीके से जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये, और

(ख) अपने कारोबार में लगे किसी भी अन्य सार्वजनिक सेवा यान के चालक, परिचालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति को गलत तरीके से न तो रोकेगा और न रोकने का प्रयास करेगा;

---

1. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा एवं दिनांक 4.12.2003 से लागू किया गया।

(vi) shall not smoke while on duty;

(vii) shall behave in a civil and orderly manner towards passengers and intending passengers;

(viii) shall be cleanly dressed in the following uniform:–

(1) khaki Bush-shirt or coat with four pockets with flaps,

(2) khaki full pant,

(3) khaki cap or turban

Provided that when drivers of such vehicles are or are likely to be called upon to perform duties in an emergency or to receive training, the State Government may, by general or special order, exempt such drivers from the operation of this clause for such period as may be specified in the order;

(ix) shall maintain the vehicle in a clean and sanitary condition;

(x) shall not interfere with person mounting or preparing to mount upon any other vehicles;

(xi) shall not solicit custom save in a civil and quite manner;

(xii) shall not loiter or unduly delay upon any journey but shall proceed to his destination. as near as may be in accordance with the time table pertaining to the vehicle or, where there is no such time table, with all reasonable despatch;

(xiii) shall not save for good and sufficient reason refuse to carry any person tending legal fare;

Explanation.– Where the legal fare is less than one rupee, a demand by such person for change in excess of that sum shall be a good and sufficient reason for refusing to carry such person for the purposes of this sub-rule.

(xiv) shall, in the event of the vehicle being unable to proceed to its destination on account of mechanical breakdown or other cause beyond his control arrange to convey the passengers to their destination in some other similar vehicle or if unable so to arrange within a period of an hour after the failure of the vehicle, shall on demand refund to each passenger a proper proportion of the fare relating to the non-completion of the journey for which the passenger had paid the fare;

(xv) shall not hold more than one badge issued by an authority;

(xvi) shall, if at any time the authorisation on his licence entitling him to drive a stage carriage or contract carriage is suspended or revoked by any authority or by any Court or ceases to be valid by efflux of time, within seven days surrender the badge to the authority by which it was issued;

(xvii) shall, on demand by any Police Officer in uniform not below the rank of Sub-Inspector or any officer of the Motor Vehicle Department not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector, produce his driving licence for inspection:

(vi) जब काम पर हो, धुम्रपान नहीं करेगा;

(vii) यात्रियों और इच्छुक–यात्रियों के प्रति नागरिक और सभ्य तरीके से व्यवहार करेगा;

(viii) निम्न वर्दी को सफाई से पहनकर रहेगा:–

(1) खाकी बुश शर्ट या कोट, जिसमें ढक्कनदार चार जेबें हों,

(2) पूरा खाकी पेन्ट,

(3) खाकी टोपी या साफा :

परन्तु जब ऐसे यानों के चालकों को किसी आपातकाल में कर्त्तव्य पालन के लिये या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बुलाया जाये या बुलाये जाने की सम्भावना हो, तो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे चालकों को इस खण्ड के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिये, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, छूट दे सकेगी;

(ix) यान को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखेगा;

(x) किन्ही दूसरे यानों में चढ़ने वाले या चढ़ने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(xi) सभ्य और शान्त तरीके के सिवाय, ग्राहकों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा;

(xii) किसी यात्रा में सुस्ती या अनावश्यक देरी नहीं करेगा, अपितु यान से सम्बन्धित समय सारिणी के अनुसार जितना नजदीक हो सके अपने गन्तव्य–स्थान की ओर बढ़ेगा या, जहां ऐसी समय–सारिणी न हो, वहां युक्तियुक्त समय में यात्रा पूरी करेगा;

(xiii) अच्छे और पर्याप्त कारणों के सिवाय, किसी व्यक्ति को जो विधिक किराया दे रहा हो, ले जाने से इनकार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण.– जहां विधिक किराया एक रुपये से कम हो, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा उस राशि से अधिक खुल्ले मांगना ऐसे व्यक्ति को ले जाने से मना करने के लिये इस उपनियम के प्रयोजनार्थ एक अच्छा और पर्याप्त कारण होगा।

(xiv) यांत्रिक खराबी के कारण या अन्य कारण से, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, यान के अपने गन्तव्य–स्थान को जाने से अयोग्य हो जाने की दशा में, वह यात्रियों को उनके गन्तव्य–स्थान पर किसी दूसरे समान यान द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करेगा या यदि गाड़ी के फेल हो जाने के एक घण्टे बाद तक की अवधि में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके, तो मांग करने पर प्रत्येक यात्री को पूरी नहीं हुई यात्रा से सम्बन्धित किराया जो यात्री ने दिया था, उसका उचित–आनुपातिक हिस्सा उसको वापस करेगा;

(xv) किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये एक बैज से अधिक धारण नहीं करेगा;

(xvi) यदि किसी समय उसके मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी चलाने के लिये हकदार बनाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर प्राधिकार किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहरित कर लिया जाता है या समय बीत जाने से वह विधिमान्य नहीं रह गया है, तो वह सात दिनों के भीतर बैज उस प्राधिकारी को वापस कर देगा, जिसके द्वारा वह जारी किया गया था;

(xvii) किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, जो सब–इन्सपेक्टर से नीची श्रेणी का न हो या मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी, जो मोटर यान सब–इन्सपेक्टर से नीचे श्रेणी का न हो, के द्वारा मांग करने पर वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा:

Provided that, if at the time his driving licence is demanded and instead of the licence, the badge provided in Rule 2.26 is displayed it shall be deemed to be sufficient compliance with this sub-rule, but he shall produce the driving licence within 48 hours at any Police Station in the State which he specified to the said Police Officer or Transport Officer making such demand;

(xviii) shall see that no passenger is seated in the vehicle when the same is being filled with fuel;

(xix) shall, as far as may be reasonably possible, having regard to his duties, be responsible for the due observance of the provisions of the Act and of these rules;

(xx) shall not ply a stage carriage or a contract carriage for more than six passengers unless there is a duly licence conductor on duty in the vehicle;

(xxi) shall not, while on duty, be in a stage of intoxication or in a stage in which, by reason of his having taken or used any sedative, narcotic or stimulant drug or preparation, his capacity to drive the vehicle is impaired;

(xxii) shall not allow any person to be carried in any public service vehicle in excess of the capacity specified in the certificate of registration of the vehicle;

(xxiii) shall ensure that, when a vehicle is required to cross an unmanned railway level crossing, the conductor alights from the vehicle to guide its safe crossing;

(xxiv) shall not, while plying a contract carriage other than a motor cab, permit or connive at picking up or setting down of passengers enroute and shall ensure that the contract carriage is hired by a single party from the starting point to the destination;

(xxv) shall while on duty display on his right breast a Black plate made of plastic of size 8 cms x 1.5 cms inscribed thereon his name in bold white letters of the size of 0.05 cms. in Hindi. The cost of the name plate shall be borned by him.

(2) No driver of a stage carriage of contract carriage shall cause or allow to enter into or to be placed or carried in the vehicle, any person whom he knows or has reason to believe to be suffering from any infectious or contagious disease, or the corpse of any person whom he knows or has reason to believe to have been suffering from any such disease.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-rule (2), the driver, may, upon application in writing by a registered medical practitioner, allow a person suffering from an infectious or contagious disease to be carried in a stage carriage or contract carriage provided that no other person save a person or persons in attendance on the person so suffering shall be carried in the vehicle at the same time.

परन्तु यदि किसी समय उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है और लाइसेंस की बजाय नियम 2.26 में उपबन्धित बैज दिखा दिया जाता है, तो इसे इस उप–नियम की पर्याप्त पालना समझी जावेगी, परन्तु उसे ड्राइविंग लाइसेंस 48 घण्टे के भीतर राज्य के किसी पुलिस स्टेशन पर दिखाना होगा, जो उसने उक्त पुलिस अधिकारी या परिवहन–अधिकारी को ऐसी मांग करने पर विनिर्दिष्ट किया था;

(xviii) वह देखेगा कि, जब यान में ईंधन भरा जा रहा हो, तो कोई यात्री गाड़ी में बैठा नहीं रहे;

(xix) वह, जहां तक युक्तियुक्त रूप से सम्भव हो, अपने कर्त्तव्य का ध्यान रखते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों की उचित पालना के लिये उत्तरदायी होगा;

(xx) वह किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी को छः से अधिक यात्रियों के लिये नहीं चलायेगा, जब तक कि गाड़ी में उचित लाइसेंस–शुदा परिचालक कर्त्तव्यरत नहीं हो;

(xxi) जब वह ड्यूटी पर हो, नशे की अवस्था में या ऐसी अवस्था में नहीं रहेगा, जिसमें उसने कोई नशीली, मनःप्रभावी या उत्तेजक द्रव्य या वस्तु ले ली हो या उपयोग में ली हो, जिससे उसकी गाड़ी चलाने की क्षमता कम हो गई हो :

(xxii) यान के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र में दी गई क्षमता से अधिक किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक सेवा यान में ले जाने की अनुमति नहीं देगा;

(xxiii) यह सुनिश्चित करेगा कि जब यान किसी असुरक्षित (बिना आदमी के) रेल क्रासिंग को पार करे, तो परिचालक उसे सुरक्षित पार करने में मार्गदर्शन देने के लिये यान से उतर गया है;

(xxiv) मोटर–कैब के अलावा कोई ठेका–गाड़ी चलाते समय वह रास्ते में यात्रियों को लेने या उतारने की अनुमति या सहमति नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकागाड़ी किसी एकल पार्टी द्वारा आरम्भ के स्थान से गन्तव्य स्थान तक के लिये किराये पर ली गई है;

(xxv) जब वह ड्यूटी पर हो, तो अपने दायें सीने पर 8 से.मी. x 1.5 से.मी. आकार की एक प्लास्टिक की काली प्लेट प्रदर्शित करेगा, जिस पर उसका नाम 0.05 से.मी. साइज के मोटे सफेद अक्षरों में हिन्दी में होगा। इस प्लेट का मूल्य उसके द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) किसी मंजिली गाड़ी या ठेकागाड़ी का चालक किसी व्यक्ति को जिसके बारे में, वह यह जानता हो या यह विश्वास करने का उसके पास कोई कारण है कि वह किसी छूत या संक्रमण वाले रोग से ग्रस्त है या किसी व्यक्ति के शव को जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कोई कारण है कि वह ऐसे किसी रोग से ग्रस्त रहा है, यान में न तो प्रवेश करायेगा, न ही रखायेगा न ले जाने देगा या प्रवेश करने की या रखने की या ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

(3) उप–नियम (2) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, चालक किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में आवेदन करने पर किसी छूत या संक्रमण वाले रोग से ग्रसित व्यक्ति को मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में ले जाने की अनुमति दे सकेगा परन्तु इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस यान में उसी समय नहीं ले जायेगा।

(4) Where a person suffering from an infectious or contagious disease, or the corpse of any such person has been carried in a contract carriage or a stage carriage, the driver of the vehicle shall be responsible to report the fact of such carriage to the medical officer incharge of the nearest municipal Local Board or Government dispensary, and to the owner of the vehicle, and neither the owner nor the driver shall cause or allow any person to use the vehicle until the driver and the vehicle have been disinfected in such manner as the said medical officer may specify and a certificate to this effect has been obtained from the said medical officer.

(5) No, driver, or person incharge of a transport vehicle shall permit any corpse to be placed or carried on such vehicle when such vehicle is plying for the conveyance of any passenger other than the person or persons by whom the vehicle has been expressly hired for the purpose of conveying such corpse.

2.24. Rules for conduct and duties of the Drivers of Motor Cabs and Motor Cabs fitted with Taxi Meters.– (1) the drivers of the first two motor cabs on any stand shall always stay near their motor cabs which shall be ready for immediate hiring by any person.

(2) All drivers shall move their motor cabs up as vacancies occur on the stand.

(3) Every motor cabs shall be kept with from wheels straight at a distance of not less than 30 cms. from the motor cab immediately in front of it and where stand is by the side of a kerb, parallel to and not more than 30 cms. from the kerb.

(4) No driver shall allow his motor cab to remain on the stand if it is disabled unless the disablement is of a temporary nature which can be immediately remedied and is so remedied.

(5) No driver shall allow his motor cab when it is not engaged to remain at any place other than a stand appointed for the purpose nor shall he loiter in any public place for the purpose of its being hired.

(6) No driver shall prevent or attempt to prevent the first cab on the stand from being hired.

(7) No driver whose motor cab has been engaged for some future time shall keep his motor cab on a stand unless he is willing to accept any intermediate engagement that may be offered.

(8) A driver of a motor cab shall in the absence of reasonable cause to the contrary proceed to the destination named by the hirer by the shortest and quickest route.

(9) No driver of a motor cab shall make use of his motor cab in connection with or for the furtherance of prostitution or shall act as a procurer of prostitutes.

(10) No driver of a motor cab shall carry a cleaner or other attendant in the motor cab.

(11) No driver of a motor cab shall terminate the hiring thereof before he has been discharged by the hirer.

(12) No driver of a motor cab shall demand or accept any fare in excess of that to which he is legally entitled.

(4) जहां छूत या संक्रमण वाले रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का शव किसी ठेकागाड़ी या मंजिली गाड़ी में ले जाया गया है, वहां उस यान का चालक ऐसे ले जाने के तथ्य की रिपोर्ट निकटतम नगरपालिका, स्थानीय निकाय या सरकारी चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और यान के स्वामी को करने के लिये उत्तरदायी होगा और न तो वह स्वामी या न वह चालक किसी व्यक्ति को उस यान का उपयोग तब करवायेगा या करने की अनुमति देगा, जब तक चालक ने उस यान को उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताये गये तरीके से कीटाणुरहित नहीं कर दिया हो और उक्त चिकित्साधिकारी से इस बारे में एक प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

(5) किसी परिवहन यान का चालक या भारसाधक उस यान में किसी शव को रखने या ले जाने की अनुमति नहीं देगा, जब ऐसा यान किसी यात्री को ले जाने के लिये चलाया जा रहा हो, सिवाय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के जिन्होंने ऐसे शव को ले जाने के लिये उस यान को अभिव्यक्त रूप से किराये पर लिया हो।

2.24. मोटर-कैबों और टैक्सी-मीटर लगे मोटर-कैबों के चालकों के आचरण और कर्त्तव्यों के लिये नियम.— (1) किसी स्टैण्ड पर पहले दो मोटर–कैबों के चालक सदैव अपने मौटर–कैबों के पास रहेंगे, जो किसी व्यक्ति द्वारा तुरन्त भाड़े पर ले जाने के लिये तैयार रहेंगे।

(2) स्टैण्ड पर स्थान रिक्त होते ही सभी चालक अपने मोटर--कैबों को आगे बढ़ायेंगे।

(3) प्रत्येक मोटर–कैब को अपने ठीक सामने के मौटर–कैब से पहियों से कम से कम 30 सेन्टीमीटर की दूरी पर रखा जायेगा और जहां स्टैण्ड किसी मोड. के एक ओर है, तो उन्हें मोड़ के समानान्तर और 30 सेन्टीमीटर से अनधिक दूरी पर रखा जायेगा।

(4) यदि मोटर–कैब खराब हो गया है, तो उसको चालक स्टैण्ड पर नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी खराबी अस्थायी प्रकार की न हो और जिसे ठीक न कर दिया गया हो।

(5) जब अपना मोटर--कैब किराये पर न हो, तो चालक उसे इसके लिये निर्धारित स्टैण्ड के अलावा किसी स्थान पर खड़ा नहीं रखेगा और किराये पर उठाये जाने के प्रयोजन से किसी सार्वजनिक स्थान पर इधर–उधर नहीं फिरेगा।

(6) कोई चालक किसी पहले कैब को किराये पर जाने से न तो रोकेगा, न रोकने का प्रयत्न करेगा।

(7) कोई चालक जिसका मोटर–कैब कुछ आगे के समय के लिये किराये पर ले लिया गया है, उसे वह स्टेण्ड पर खड़ा नहीं रखेगा, जब तक कि वह इसी बीच में आये तुरन्त किराये को स्वीकार करने का इच्छुक न हो।

(8) किसी मोटर--कैब का चालक, कोई विपरीत युक्तियुक्त कारण न होने पर, उस गन्तव्य स्थान को जो किराये पर लेने वाले से नामित किया है, लघुतम और शीघ्रतम मार्ग से जायेगा।

(9) किसी मोटर–कैब का कोई चालक अपने मोटर–कैब का उपयोग वैश्यावृति के सम्बन्ध में या उसको बढ़ावा देने के लिये नहीं करेगा या वैश्याओं के वाहक (लाने वाले) के रूप में काम नहीं करेगा।

(10) किसी मोटर–कैब का चालक मोटर--कैब में कोई खलासी या सहायक नहीं ले जायेगा।

(11) किसी मौटर–कैब का चालक किराये पर लेने वाले द्वारा छोड़ दिये जाने से पहले उसकी किरायेदारी को समाप्त नहीं करेगा।

(12) किसी मौटर–कैब का चालक कानूनी रूप से अधिकृत किराये से अधिक किराया नहीं मांगेगा या स्वीकार करेगा।

(13) No driver of a motor cab shall shout in order to attract a passenger.

(14) A driver of a motor cab shall at all times exercise all reasonable care diligence to maintain his vehicle in a fit and proper condition and shall not knowingly drive the vehicle when it or any brake, tyre or lamp thereof is in a defective condition likely to endanger any passenger or other person or when there is not sufficient fuel in the tank of the vehicle to enable him to reach the next fuel filling station on the route.

(15) A driver of a motor cab shall behave in a civil and quite manner and shall not in any way interfere with any person boarding or preparing to board another vehicle.

(16) A driver of a motor cab shall not smoke while on duty.

(17) A driver of a motor cab shall behave in a civil and orderly manner to passengers and intending passengers.

(18) A driver of a motor cab shall be cleanly dressed in the following uniform:-

(1) khaki bushshirt or coat with four pocket with flaps,

(2) khaki full pant,

(3) khaki peak-cap with black Peak or khaki turban:

Provided that when drivers of such vehicles are or are likely to be called upon to perform duties in an emergency or to receive training, the Government may, by general or special order exempt such drivers from the operation of this sub-rule for such period as may be specified in the order.

(19) A driver of a motor cab shall maintain the vehicle in a clean and sanitary condition.

(20) No driver of a motor cab shall allow any person to be carried in any motor cab in excess of the seating capacity specified in the certificate of registration of the vehicle.

(21) A driver of a motor cab shall not hold more than one badge issued by an authority in the State.

(22) If at any time the authorisation of a driver's driving licence entitling him to drive a motor cab is suspended or revoked by any authority or by any court or ceases to be valid by the efflux of time, the driver shall within seven days surrender the badge to the authority by which it was issued.

(23) No driver of a motor cab shall cause or allow to enter into or to be placed or carried in the vehicle, any person whom he knows or has reason to believe to be suffering from any infectious or contagious disease or the corpse of any person whom he knows or has reason to believe to have been suffering from any such disease.

(24) Notwithstanding the provisions of sub-rule (22), the driver may upon application in writing by a registered medical practitioner allow a person suffering from an infectious or contagious disease to be carried in a motor cab provided that no other person save a person or persons in attendance on the person so suffering shall be carried in the vehicle at the same time.

(13) किसी मौटर–कैब का चालक किसी यात्री को आकर्षित करने के लिये आवाजें नहीं लगायेगा

(14) किसी मौटर–कैब का चालक हर समय अपने यान को ठीक और सही दशा में रखने के लिये सब युक्तियुक्त संभाल व परिश्रम करेगा और जान–बूझकर उस यान को तब तक नहीं चलायेगा जब तक वह या कोई ब्रेक, टायर या लैम्प खराब दशा में हो और किसी यात्री या अन्य व्यक्ति के प्रति खतरे की सम्भावना हो या जब उसकी टंकी में पर्याप्त ईंधन न हो कि वह मार्ग में स्थित किसी अगले ईंधन स्थल पर पहुंच जाये।

(15) किसी मौटर–कैब का चालक सभ्य और शांत तरीके से व्यवहार करेगा और किसी व्यक्ति के दूसरे यान में चढ़ने या चढ़ने की तैयारी करने में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(16) किसी मौटर–कैब का चालक जब ड्यूटी पर हो, धूम्रपान नहीं करेगा।

(17) किसी मौटर–कैब का चालक यात्रियों और इच्छुक यात्रियों के साथ सभ्य और व्यवस्थित रूप से व्यवहार करेगा।

(18) किसी मौटर–कैब का चालक निम्न वर्दी को सफाई से पहनकर रहेगा–

(1) खाकी बुश शर्ट या कोट, जिसमें ढक्कनदार चार जेबें हों,

(2) खाकी पूरा पेन्ट,

(3) खाकी चोंचदार टोपी जिसकी चोंच काली हो या खाकी साफा :

परन्तु यह कि जब ऐसे यानों के चालकों को किसी आपातकाल में कर्त्तव्य पालन के लिये या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बुलाया जाये या बुलाने की सम्भावना हो, तो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे चालकों को इस उपनियम के प्रवर्तन से, ऐसी अवधि के लिये जो उस आदेश में दी जाये, छूट दे सकेगी।

(19) किसी मौटर–कैब का चालक यान को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखेगा।

(20) मौटर–कैब का चालक, यान के रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र में बतायी गयी बैठने की क्षमता से अधिक सवारियों को ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

(21) किसी मौटर–कैब का चालक राज्य में किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये एक बैज से अधिक धारण नहीं करेगा।

(22) यदि किसी समय उसके मौटर–कैब चलाने का हकदार बनाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर प्राधिकार किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहरित (वापस) कर लिया जाता हैं या समय बीत जाने से वह विधिमान्य नहीं रह गया है, तो वह सात दिनों के भीतर बैज उस प्राधिकारी को वापस कर देगा, जिसके द्वारा वह जारी किया गया था।

(23) किसी मौटर–कैब का चालक किसी व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उसके पास कोई कारण है कि वह व्यक्ति किसी छूत या संक्रमण वाले रोग से ग्रसित है या किसी व्यक्ति के शव को जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि वह ऐसे किसी रोग से ग्रसित रहा है, यान में प्रवेश करने की या रखने की या ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

(24) उप–नियम (22) में किसी बात के होते हुए भी, चालक किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में आवेदन करने पर किसी छूत या संक्रमण वाले रोग से ग्रसित व्यक्ति को मौटर–कैब में ले जाने की अनुमति दे सकेगा परन्तु इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस यान में उसी समय नहीं ले जायेगा।

(25) Where a person suffering from an infectious or contagious disease or the corpse of any such person has been carried in a motor cab the driver of the vehicle shall report the fact of such carriage to the medical officer incharge of the nearest municipal local board or Government dispensary and to the owner of the vehicle and neither the owner nor the driver shall cause or allow any person, to use the vehicle until the driver and the vehicle have been disinfected in such manner as the said medical officer may specify and a certificate to the effect has been obtained from the said medical officer.

(26) A driver of a motor cab shall, on demand by any Police Officer in uniform, not below the rank of Sub-Inspector or any officer of the Motor Vehicle Department not below the rank of Motor Vehicles Sub-Inspector produce his driving licence for inspection.

(27) The driver of a motor cab shall at the conclusion of any journey make reasonable search in the vehicle for anything left by any passenger and shall take into his custody anything so found by him or by another person in such vehicle, and as soon as may be, make over the same to a responsible employee of the holder of the permit for the vehicle or to the officer-in-charge of the nearest Police Station.

(28) The driver of a motor cab shall not, without the approval of its owner, permit any other person to drive the vehicle.

(29) The driver of every motor cab fitted with a taxi meter shall not set it in motion before it is hired and shall stop it immediately the motor cab arrives at the destination.

Note.– A motor cab shall be considered to be hired from time it has been angaged or it called from a distance from the time of such call.

(30) If the driver of any motor cab fitted with a taxi-meter which is hired by any person is unable to proceed owing to any defect in the mechanism of the motor cab, he shall at once lower the flag to 'stopped' position and shall not restart his meter until such time as the defect is remedied.

(31) No driver shall cover or obscure the fact of a taxi meter under any circumstances or at any time.

(32) No driver shall without reasonable excuse refuse to let the motor cab for hire when the flag is in a vertical position.

2.25. Conduct and duties of Drivers of Goods vehicle.– The driver of a Goods vehicle.–

(1) shall not cause or allow any person, animal or thing to be placed or to be in the space reserved for the driver's seat as provided under Chapter VII of these Rules or Act or otherwise in such a way as to impede him in having a clear vision of the road or proper control of the vehicle;

(2) shall at all times exercise all reasonable care and diligence to maintain his vehicle in fit and proper condition and shall not knowingly drive the vehicle when it, or any brake, tyre or lamp thereof is in a defective condition likely to endanger any occupant or other person or when there is not sufficient fuel in the tank of the vehicle to enable him to reach the next fuel filling station on the route;

(25) जहां छूत के या संक्रमण रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का शव किसी मौटर–कैब में ले जाया गया है, वहां उस यान का चालक ऐसे ले जाने के तथ्य की रिपोर्ट निकटतम नगरपालिका, स्थानीय निकाय या सरकारी चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और यान के स्वामी को करने के लिये उत्तरदायी होगा और न तो वह स्वामी या न वह चालक किसी व्यक्ति को उस यान का उपयोग तब तक करवायेगा, जब तक चालक ने उस यान को उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताये गये तरीके से कीटाणुरहित नहीं कर दिया हो और उक्त चिकित्साधिकारी से इस बारे में एक प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

(26) किसी मौटर–कैब का चालक, किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, जो सब–इन्सपेक्टर से नीची श्रेणी का न हो या मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी, जो मोटर यान सब–इन्सपेक्टर से नीची श्रेणी का न हो, के द्वारा मांग करने पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसे निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

(27) किसी यात्रा के पूरा होने पर मोटर–कैब का चालक यान में किसी यात्री द्वारा छोड़ी गयी किसी वस्तु के लिये युक्तियुक्त खोज करेगा और इस प्रकार उसके द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा पाई गई वस्तु को अपने कब्जे में लेगा और यथाशीघ्र उसे यान के परमिट–धारक के उत्तरदायी कर्मचारी को या नजदीक के पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को सौंप देगा।

(28) किसी मौटर–कैब का चालक, उसके स्वामी की अनुमति के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को उस यान को चलाने की स्वीकृति नहीं देगा।

(29) प्रत्येक मीटरयुक्त मौटर–कैब का चालक उसे किराये पर उठाने से पहले नहीं चलायेगा और गन्तव्य स्थान पर पहुंचते ही उसे तुरन्त रोक देगा।

नोट्स– किसी मौटर–कैब को किराये पर उठाना उस समय से, जब उसे काम पर लगाया गया हो, या जब दूर से बुलाया गया हो तो ऐसे बुलाने के समय से, माना जायेगा।

(30) यदि मौटर–कैब का चालक जिसमें मीटर लगा है और जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किराये पर लिया गया हैं, मौटर–कैब की मशीनरी में किसी खराबी के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ है, तो वह तुरन्त झण्डी को "रोक दिया" की दशा में नीचे कर देगा और मीटर को उस समय तक दुबारा चालू नहीं करेगा तब तक कि वह खराबी दूर न हो जाये।

(31) चालक टैक्सी–मीटर के किसी तथ्य को किसी परिस्थिति में या किसी भी समय नहीं छुपायेगा।

(32) जब फ्लैग सीधी दशा में हो, तो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, चालक मौटर–कैब को किराए पर देने से इनकार नहीं करेगा।

2.25. मालयानों के चालकों के आचरण और कर्त्तव्य.– मालयान का चालक–

(1) किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु को, इस अधिनियम या इन नियमों के अध्याय VII के अधीन यथा उपबंधित ड्राइवर की सीट के लिये सुरक्षित स्थान में या अन्यथा, इस प्रकार से न तो रखायेगा या रखने देगा जिससे कि उसको सड़क को स्पष्ट रूप से देखने में या यान के उचित नियंत्रण में कोई बाधा आये;

(2) वह हर समय अपने यान को ठीक हालत में और सही दशा में संधारित करने के लिये सब युक्तियुक्त ध्यान व सावधानी का प्रयोग करेगा और जानबूझकर उस यान को नहीं चलायेगा, जब वह यान या उसके ब्रेक, टायर या लैम्प खराब दशा में हों और इससे किसी यात्री या अन्य व्यक्ति के प्रति खतरे की संभावना हो या उसकी टंकी में पर्याप्त (काफी) ईंधन न हो कि वह मार्ग में स्थित अगले ईंधन स्थल तक पहुंच सके;

(3) shall not demand or extact any freight in excess of that to which he is legally entitled;

(4) shall, as far as may be reasonably possible, having regard to his duties, be responsible for the due observance of the provisions of the Act and of these rules;

(5) shall behave in a civil and orderly manner to hirers of their nominees and intending hirers or their nominees;

(6) shall not loiter or unduly delay upon any journey but shall proceed to his destination with all reasonable despatch;

(7) shall take all reasonable precautions to prevent the goods being spoiled or lost on the way;

(8) shall be cleanly dressed in the following uniform:-

(1) khaki bushshirt or coat with four pockets with flaps.

(2) Khaki full pant,

(3) Khaki cap or turban.

2.26. Drivers Badge of Transport Vehicles.– (1) A circular metal Badge shall be issued by the Licensing Authority to every person who has been granted an authorisation to drive a Transport vehicle under these rules. The badge shall be in the form and shape as mentioned below :-

Mentioned here district code Rajasthan Transport Department
No. 14/135 Transport Vehicle Driver

Diameter of badge 6 cms. and number to be in large figures.

(2) The driver of a transport vehicle shall, while on duty, display a badge on the left side of his chest. No driver shall hold more than one such badge.

(3) (a) The fee for the issue of badge and for issue of duplicate badge, if the badge is lost, destroyed or damaged shall be as prescribed.

(b) If the badge is lost, destroyed a duplicate badge shall be issued by the authority by which it was issued on an application made in form R.S. 2.7.

(4) A driver of a Transport Vehicle shall not hold more than one such badge.

(5) No driver shall lend or transfer the badge to any person. Any person finding the badge shall unless he returns the same to a person, who may not to be the holder, forthwith surrender to the authority by whom it was issued or to a Police Officer.

(6) When authorisation on the driver's driving licence entitling him to drive a public service vehicle, is suspended or revoked by any authority or by the Court or ceases to be valid by efflux of time, the driver shall, within 7 days of such suspension or revocation or surrender the badge held by him to the authority by which it was issued.

2.27. Exemption of Driver of Road Roller.– Sub-section (1) of Section 3 of the Act shall not apply to the driver of a road roller.

(3) वह उससे अधिक कोई मालभाड़ा न तो मांगेगा या न लेगा, जिसके लिये यह विधिक रूप से हकदार है;

(4) जहां तक युक्तियुक्त रूप से संभव है, अपने कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, वह इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों की उचित पालना के लिये उत्तरदायी होगा;

(5) वह किराये पर लेने वालों या उनके प्रतिनिधियों और किराये पर लेने के इच्छुक या उनके प्रतिनिधियों के साथ सभ्य और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करेगा;

(6) वह किसी यात्रा पर इधर–उधर नहीं फिरेगा या अनुचित देरी नहीं करेगा, परन्तु अपने गन्तव्य स्थान की ओर हर युक्तियुक्त प्रेषण (डिस्पेच) के साथ आगे बढ़ेगा;

(7) वह मार्ग में माल को खराब होने या खोने से रोकने के लिये युक्तियुक्त सावधानी रखेगा;

(8) वह निम्नलिखित वर्दी को सफाई से पहनकर रहेगा:—

(1) खाकी बुश शर्ट या कोट, जिसमें ढक्कनदार चार जेबें हों,

(2) खाकी पूरा पेन्ट,

(3) खाकी टोपी या साफा :

2.26. परिवहन यानों के चालकों का बैज.— (1) अनुज्ञापन–प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जिसे परिवहन यान चलाने के लिये इन नियमों के अधीन प्राधिकार दिया गया है, एक गोलाकार धातु बैज जारी किया जायेगा। यह बैज नीचे वर्णित रूप और आकार में होगा:—

यहां जिला कोड देंवे • राजस्थान परिवहन विभाग •

सं. 14/135 परिवहन यान चालक।

बैज का व्यास 6 सेन्टीमीटर होगा और उस पर संख्या मोटे अक्षरों में अंकित होगी।

(2) किसी परिवहन यान का चालक, जब वह ड्यूटी पर हो, अपने सीने की बाई ओर बैज प्रदर्शित करेगा। कोई चालक एक से अधिक बैज नहीं रखेगा।

(3) (क) बैज जारी करने या यदि बैज खो गया, नष्ट हो गया या टूट–फूट गया तो डुप्लीकेट बैज जारी करने के लिये फीस वह होगी, जो निर्धारित की जाये।

(ख) यदि बैज खो गया, नष्ट हो गया या टूट–फूट गया, तो डुप्लीकेट बैज प्ररूप आर.एस. 2.7 में आवेदन करने पर उस प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा, जिसके द्वारा वह पहले जारी किया गया था।

(4) किसी परिवहन यान का चालक एक से अधिक ऐसा बैज नहीं रखेगा।

(5) कोई चालक इस बैज को किसी व्यक्ति को उधार नहीं देगा, न अन्तरित करेगा। किसी व्यक्ति को जिसे यह बैज मिल जाये, यदि वह इसे उसी व्यक्ति को वापस नहीं करता है, जो उसका धारक है, तो उसे वह तुरन्त जारी करने वाले प्राधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा।

(6) जब किसी समय उसके सार्वजनिक सेवा यान चलाने का हकदार बनाने वाले ड्राईविंग लाइसेंस पर प्राधिकार किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहरित कर लिया जाता है या समय बीत जाने से वह विधिमान्य नहीं रह गया है, तो वह (चालक) सात दिनों के भीतर बैज उस प्राधिकारी को वापस कर देगा, जिसके द्वारा यह जारी किया गया था।

2.27. रोड रोलर के चालक को छूट.— इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) रोड रोलर के चालक को लागू नहीं होगी।

2.28. Maintenance of Driving Licence Register.– (1) Every Licensing Authority shall maintain a separate register, one for learner's licence and other for Driving licence (Separate for persons who are above sixteen years and below eighteen years authorised to drive a vehicle without gear) containing the following particulars:–

1. Date
2. Sl. No.
3. Name of the person and name of father/husband
4. Address
5. Date of birth
6. Educational Qualification
7. Class of vehicle for which the Learning/Driving licence is issued.
8. Any class Added..
9. Valid upto
10. Fee deposited vide cash Receipt No. date;
11. Name of the doctor by whom the medical certificate issued
12. Blood group with RH Factor
13. Name of Testing Officer
14. Vehicle number of which trial has been taken
15. Type of vehicle
16. Signature of the official who prepared the licence
17. Allowed to drive transport vehicle of following categories:–
    L.T.V.
    M.P.T.V.
    M.G.T.V.
    H.P.T.V.
    H.G.T.V.
    Any other
18. Signature of the Licensing Authority
19. Driving Licence renewed upto
20. Endorsement made, if any.

(2) The Learning Licence or the Driving licence, shall be conferred in the following particulars:–

Year	RJ	District Code	Learning Licence/ Driving Licence Number

2.28. ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर का संधारण.– (1) प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी अलग ा रजिस्टर–एक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिये और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिये अलग–अलग कियों के लिये (जो सोलह वर्ष के ऊपर हैं और उनके लिये जो अठारह वर्ष से नीचे हैं और जिनको गियर का यान चलाने के लिये प्राधिकृत किया गया है) संधारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण

1. दिनांक,
2. क्रम संख्या,
3. व्यक्ति का नाम और पिता या पति का नाम,
4. पता,
5. जन्म दिनांक,
6. शैक्षिक योग्यता,
7. यान की श्रेणी, जिसके लिये शिक्षार्थी/ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया,
8. कोई श्रेणी जो जोड़ी गई, ...
9. .... तक के लिये विधि–मान्य,
10. फीस कैश रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा कराई गई।
11. डाक्टर का नाम, जिसके द्वारा मेडिकल प्रमाण–पत्र जारी किया गया।
12. रक्त का ग्रुप मय आर.एच. फैक्टर ....
13. परीक्षण अधिकारी का नाम
14. यान की संख्या, जिस पर परीक्षण किया गया,
15. यान का प्रकार
16. लाइसेंस तैयार करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
17. निम्नलिखित प्रकार का परिवहन–यान चलाने की अनुमति दी गई–
    L.T.V.
    M.P.T.V.
    M.G.T.V.
    H.P.T.V.
    H.G.T.V.
    अन्य।
18. अनुज्ञापन–प्राधिकारी के हस्ताक्षर
19. चालन अनुज्ञप्ति .... तक के लिये नवीकृत
20. पृष्ठांकन किया गया, यदि कोई।

(2) शिक्षार्थी या ड्राइविंग लाइसेंस निम्नलिखित विशिष्टियों में प्रदत्त की जावेगी–

वर्ष	RJ	जिला कोड	शिक्षार्थी/ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या

Year in which the learner's licence/driving licence is issued followed State Code (RJ) and followed by District Code allotted by the Transport Commissioner and followed by Learning Licence/Driving Licence thereafter serial number will be given.

(3) Every Licensing Authority shall send information of driving licence granted/ renewed during the month. This information should reach the office of the Transport Commissioner by 7th of succeeding months positively, in the following proforma;–

1. (a) Driving licence number and date of initial issue.
   (b) Name and designation of the officer who has taken driving test and date of passing the test by holder of the licence.
2. Name, address and other particulars of the holder of the driving licence.
   (a) Name of the holder in case of minor, name of guardian's
   (b) Date of birth
   (c) Educational qualification
   (d) Permanent address
   (e) Temporary address
   (f) Official address (if any)
   (g) Subsequent changes of address
   (h) Class and types of vehicles for which licence is given
   (i) Addition of vehicle (if any)
   (j) Date of expiry of the licence and further renewal (with details of Licensing Authority which last renewed the licence)
3. Licensing Authority which issued the licence.
4. Licensing Authority which renewed the licence.
5. Details of disqualifications, fine, cancellation etc. in relation to the holder of the driving licence.

(4) The Statistical Section of the office of the Transport Commissioner shall maintain the state register of Driving licence on the basis of the information received from the each Licensing Authority and shall send in time a printed copy of the said register to the Central Government, Ministry of Surface Transport within the stipulated time.

Note.–

(i) The State Register shall be either a bound book or on and computer disc.

(ii) The register shall be maintained in alphabetical order beginning with surname.

[1][**2.29. Fees.–** The fees which shall be charged under the provisions this chapter shall be as specified in the Table below:–

1. Subs. by G.S.R. 108, dated 11.1.2000 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 11.1.2000).

वर्ष जिसमें शिक्षार्थी/ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया, उसके बाद राज्य का कोड (RJ) और फिर परिवहन आयुक्त द्वारा आवंटित जिला कोड, और फिर शिक्षार्थी/ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद क्रम संख्या दी जायेगी।

(3) प्रत्येक अनुज्ञापन–प्राधिकारी माह के भीतर दिये गये/नवीकृत किये गये ड्राइविंग लाइसेंस की सूचना भेजेगा। यह सूचना निम्नलिखित प्ररूप में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में अगले माह की 7 दिनांक को निश्चयपूर्वक पहुंच जानी चाहिये:–

1. (क) ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और उसे प्रारम्भिक रूप से जारी करने की दिनांक।
   (ख) उस अधिकारी का नाम व पद, जिसने चालन परीक्षण किया–लाइसेंस–धारक द्वारा परीक्षण उत्तीर्ण करने की दिनांक।
2. ड्राइविंग लाइसेंस–धारक का नाम, पता और अन्य विशिष्टियां–
   (क) धारक का नाम, अवयस्क के मामले में संरक्षक का नाम।
   (ख) जन्म दिनांक
   (ग) शैक्षणिक योग्यता
   (घ) स्थायी पता
   (ङ) अस्थायी पता
   (च) कार्यालय का पता (यदि कोई हो)
   (छ) पते में बाद में परिवर्तन
   (ज) यानों की श्रेणी और प्रकार जिनके लिये लाइसेंस दिया गया
   (झ) यानों का संयोजन (यदि काई हो),
   (ञ) लाइसेंस के समाप्त होने और आगे नवीकरण की दिनांक (अनुज्ञापन प्राधिकारी के विवरण सहित जिसने लाइसेंस का पिछला नवीकरण किया)
3. अनुज्ञापन–प्राधिकारी, जिसने लाइसेंस जारी किया।
4. अनुज्ञापन–प्राधिकारी, जिसने लाइसेंस नवीकृत किया।
5. ड्राइविंग लाइसेंस के सम्बन्ध में अयोग्यतायें, जुर्माना, रद्दकरण आदि का विवरण।

(4) परिवहन आयुक्त के कार्यालय का सांख्यिकीय अनुभाग ड्राइविंग लाइसेंस की राज्य–पंजिका प्रत्येक अनुज्ञापन–प्राधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर संधारित करेगा और उक्त पंजिका की समय पर एक–एक मुद्रित–प्रति केन्द्रीय सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय को निश्चित समय के भीतर भेजेगा।

नोट्स–

(i) राज्य पंजिका या तो एक सजिल्द पुस्तक होगी या कम्प्यूटर डिस्क पर होगी।

(ii) यह पंजिका वर्णानुक्रमानुसार उपनाम से आरम्भ करते हुए संधारित की जायेगी।

[1][**2.29. फीस.**– फीस जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन प्रभारित की जायेगी, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्टानुसार होगी:–

---

1. जी.एस.आर. 108, दिनांक 11.1.2000 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 11.1.2000 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[1][TABLE

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 2.5	500.00	2.6
2.	In respect of medical certificate to be charged by the doctor	15.00	2.7
3.	In respect of duplicate licence in Form 7	200.00	2.9, 2.10, 2.13 13.1
4.	In respect of Driver's Badge or for duplicate badge	300.00	2.26, 13.1]

CHAPTER III

LICENSING OF THE CONDUCTOR OF STAGE CARRIAGES

3.1. Licensing Authority.– The Licensing Authority for issue of the conductor's licence shall be the District Transport Officer so appointed for the district or the Motor Vehicle Inspector specially authorised by the State Government to perform the duties of the Licensing Authority.

3.2. Conductor-Provision in Stage Carriages of.– (1) Every Stage Carriage shall, in addition to the driver, carry a conductor, whose duties in addition to those specially mentioned shall be to attend on the passengers and would be responsible for the observance of the provisions of these rules. Provided that where in emergency it becomes difficult for the permit holder to provide for a conductor of stage carriage, or where a conductor on duty, for reasons beyond his control, cannot perform his duties, the driver of the stage carriage may for a period not exceeding one month act as a conductor of stage carriage without holding the conductor's licence under section 30.

(2) Any person other than the driver of the stage carriage may act as a conductor without holding the conductor's licence for a period not exceeding one month provided that:–

(a) he intimate to do so to the Licensing Authority within whose jurisdiction he intends to act as a conductor in Form R.S. 3.6;

(b) he is not disqualified for holding conductor's licence; and

(c) he has not on previous occassion acted as a conductor without a licence for a total period exceeding one mouth.

---

1. Noti. No. F. 7(4)/Pari/Rules/H.Q./11/92/12004, dt. 30.6.2015, S.O. 77 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.7.2015)

[1][सारणी

प्रयोजन	राशि (रुपयों में)	नियम
2	3	4
नियम 2.5 के अधीन अपील के बारे में	500.00	2.6
चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बारे में, चिकित्सक द्वारा प्रभारित की जाने वाली	15.00	2.7
अनुलिपि अनुज्ञप्ति के बारे में प्ररूप 7 में	200.00	2.9, 2.10, 2.13 13.1
ड्राइवर के बैज या डुप्लीकेट बैज के बारे में	300.00	2.26, 13.1]

अध्याय–3
मंजिली गाड़ियों के परिचालकों को लाइसेंस

3.1. अनुज्ञापन-प्राधिकारी.— परिचालक का लाइसेंस जारी करने के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिये इस प्रकार नियुक्त जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी र्तव्यों का निर्वहन करने के लिये विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर यान निरीक्षक होगा।

3.2. मंजिली गाड़ी में परिचालक का प्रावधान.— (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी में चालक के साथ, परिचालक होगा। विशेष रूप से वर्णित के अतिरिक्त, उसका कर्त्तव्य यात्रियों का ध्यान रखना होगा वह इन नियमों के उपबंधों के पालन के लिये उत्तरदायी होगा। परन्तु जहां आपातकाल में धारक के लिये किसी मंजिली गाड़ी में परिचालक देना कठिन हो जाये या जहां कार्यरत लक, उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों के लिये, अपना कर्त्तव्य नहीं कर सके, तो मंजिली गाड़ी लक धारा 30 के अधीन परिचालक का लाइसेंस लिये बिना एक माह तक की अवधि के लिये गाड़ी के परिचालक के रूप में कार्य कर सकेगा।

(2) मंजिली गाड़ी के चालक के अलावा अन्य व्यक्ति बिना परिचालक का लाइसेंस लिये एक माह अवधि के लिये परिचालक के रूप में काम कर सकेगा, बशर्ते कि :—

(क) वह प्ररूप आर.एस. 3.6 में अनुज्ञापन–प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में वह परिचालक के रूप में कार्य करना चाहता है, ऐसे अभिप्राय की सूचना दे,

(ख) वह परिचालक का लाइसेंस धारण करने के लिये निरर्ह (अयोग्य) नहीं हो, और

(ग) उसने पहले कभी बिना लाइसेंस लिये एक माह से अधिक की कुल अवधि के लिये परिचालक के रूप में कार्य नहीं किया हो।

---

1. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./11/92/12004, दिनांक 30.6.2015, एस.ओ. 77 राजपत्र विशेषांग भाग 4(ग)(1) दिनांक 1.7.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।